



University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003

Act 15 of 2003

Keyword(s):

Career Academy Centre, Constituent College, Council for Technical Education, Distance Education System, Faculty, Hydrocarbons Education and Research Society, Study Centre, Teacher, UGC, University

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2003 ई0

आषाढ़ 19, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 272/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 10 जुलाई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को दिनांक 08 जुलाई, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 15, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं0 15, वर्ष 2003)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन, और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य की सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रायोजित “पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय” नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ
1. (1) यह अधिनियम "पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003" कहलायेगा।
 - (2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- परिभाषाएँ
2. (1) जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-
 - (क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;
 - (ख) 'व्यवस्थापक मण्डल' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल से है;
 - (ग) 'कैरियर एकेडमी सेन्टर' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई-मेल, इन्टरनेट, पारस्परिक सम्वाद, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;
 - (घ) 'कुलाधिपति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
 - (च) 'संगठक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;
 - (छ) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;
 - (झ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग पत्राचार कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;
 - (ट) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;
 - (ठ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की संकाय से है;
 - (द) 'वित्त समिति' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
 - (थ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;
 - (न) 'हाल' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई से है;
 - (ग) 'हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी' का तात्पर्य सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी से है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी०-2/2525, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 में है;
 - (प) 'विहित' का तात्पर्य परिणियमों द्वारा विहित से है;
 - (फ) संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसमें जहाँ प्राचार्य नहीं है, उप-प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
 - (ब) 'कुल सचिव' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;
 - (म) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण

विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;

- (म) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;
- (न) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और नियमावलियों से है;
- (ल) 'अध्ययन' केन्द्र का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;
- (व) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिससे विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संगठक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है;
- (श) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन समर्पित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;
- (त्र) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय से है;
- (झ) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

3. (1) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।
- (2) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगी। इस आवेदन-पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे :-
 - (क) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
 - (ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और मूँभि की उपलब्धता;
 - (ग) आगामी पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;
 - (घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;
 - (च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे-भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख-सुविधायें;
 - (छ) आगामी पाँच वर्षों के लिए पूँजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय;
 - (ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;
 - (झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूँजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;
 - (ट) आन्तरिक संसाधनों-विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं अन्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;
 - (ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्योरा;

- (ड) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय, संसाधन;
- (ढ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति; तथा
- (न) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शर्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) यदि राज्य सरकार आवश्यक ऐसी जाँच करने के उपरान्त जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं तो हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली को स्थायी विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देगी;
- (2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।
- (4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं उन पर वाद चलाया जा सकता है।
- (5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि, चल एवं अचल सम्पत्तियाँ भी लिए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।
- (6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान, या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. (1) जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं:-
- (क) सम्पूर्ण राष्ट्र तथा विश्व के सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के लाभ के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रगति से सम्बन्धित अपने उद्देश्यों के अनुसार पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र के समस्त तत्वों के व्यापक अध्ययन, अध्यापन आदि शोध कार्य की व्यवस्था करना;
- (ख) अभियांत्रिकी अध्ययन महाविद्यालय, विधि अध्ययन महाविद्यालय तथा प्रबन्धन एवं अर्थ शास्त्र अध्ययन महाविद्यालय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा क्षेत्रों से सम्बन्धित आदि संघटक महाविद्यालयों की स्थापना तथा डिप्लोमा एवं पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया जाय किन्तु अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु नये ऐसे अन्य

डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ करने का अधिकार होगा;
(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के अधीन संघटक केन्द्र की स्थापना।

(2) पेट्रोलियम, तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना और उसके द्वारा :-

- (क) ज्ञान की ऐसी सम्बन्धित शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें वह आवश्यक समझे;
- (ख) विद्यालयों में ज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए शोध कार्य की व्यवस्था करना;
- (ग) ऊर्जा सम्बन्धी अध्ययन और ऐसी अन्य गतिविधियां आरम्भ करना जिससे ऊर्जा का संरक्षण हो सके।

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

- (क) पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, गैस, तेल, ऊर्जा, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सम्बन्धित सभी विषयों में शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें सन्निहित और प्रदान करना जिन्होंने:-
 - (i) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या
 - (ii) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में, या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो।
- (घ) परिणयमों/प्राविधानों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षिक विशेषताएँ प्रदान करना;
- (च) परिणयमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार सन्निहित एवं प्रदान करना;
- (छ) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रसार संग्रह करना जो यथास्थिति, परिणयमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;
- (ज) धारा (7) में उल्लिखित हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम और अन्य क्षेत्र में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (झ) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त (पाठ्येत्तर) अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (ट) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में सहाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (ठ) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रयोजनार्थ सदान और किसी प्रकार के सपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना;
- (ड) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए हाल स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

- (ड) आवास का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (त) प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;
- (थ) अन्य विश्वविद्यालय से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;
- (द) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (ध) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (न) विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (प) विश्वविद्यालय या किसी संगठक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;
- (फ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे अन्य सभी कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हो या न हों;
- (ब) पेट्रोलियम और ऊर्जा तथा सम्बन्धित विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र आदि के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करना;
- (भ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ, न्यास की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी;
- (म) फिल्म कैसेट, टैप, वीडियो कैसेट, सीडी, वीसीडी और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (य) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना;
- (र) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिमूर्ति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना; संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना;
- (ल) संविदा करना उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना, विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमी सेन्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हो अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्था को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा :-
- परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है।
- परन्तु, और यह भी इस धारा के किसी बात के होते हुए भी यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संगटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।
10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी।

राष्ट्रीय/प्रत्यायन

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-
- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);
- (ख) कुलाधिपति;
- (ग) कुलपति;
- (घ) प्रति-कुलपति; (प्रो-वाइस चांसलर)
- (च) संकायाध्यक्ष;
- (छ) कुल सचिव;
- (ज) वित्त अधिकारी; और
- (झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाय।
12. (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
- (2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, पत्र या सूचना को मंगाना;
- (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि कुलाध्यक्ष उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- (4) मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधधीन होगा।
13. (1) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली के तत्वाधान में स्थापित संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम विद्यालय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे जिनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा। तत्पश्चात् हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली अपने सदस्यों में से कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से कुलाधिपति नियुक्त करेगी।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

कुलाधिपति

- (2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।
- कुलपति 14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
- (घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।
- (3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेज देगी।
- (4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।
- (5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से मिनन कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।
- (6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अधिकथित किये जायें।
- (7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।
- प्रति-कुलपति 15. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- संकायाध्यक्ष 16. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी कि परिनियमों द्वारा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- कुल सचिव 17. (1) कुल सचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसे कि विहित की जाए।
- (2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
- (3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।
- (4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अक्षरिका के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी

के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें। वित्त अधिकारी
19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें, तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाय। अन्य अधिकारी गण

अध्याय-4

विश्वविद्यालय प्राधिकरण

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
- (क) व्यवस्थापक मण्डल;
- (ख) प्रबन्धक मण्डल;
- (ग) विद्या परिषद्;
- (घ) वित्त समिति; और
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे।
21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :- व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियां
- (अ) कुलाधिपति - अध्यक्ष
- (ब) कुलपति - सदस्य-सचिव
- (स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव;
- (द) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा नामित पांच सदस्य;
- (य) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/भारतीय खनन विद्यालय/भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
- (र) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित तीन शिक्षाविद;
- (ल) तेलों और गैस कम्पनियों के नामित अधिकारियों में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन अधिकारी।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो का पुनर्विलोकन;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
- (घ) नई अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संशोधन या निरसन;
- (च) विश्वविद्यालय के स्वीच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (छ) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन; और
- (ज) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (अ) कुलपति;
 (ब) कुलाधिपति द्वारा नामित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/ भारतीय विज्ञान संस्थान/भारतीय खनन विद्यालय/भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में से एक अधिकारी;
 (स) हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा नामित पाँच सदस्य;
 (द) एक वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक;
 (य) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष;
 (र) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो।

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का समापति एवं कुल सचिव इसके सचिव होंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (अ) कुलपति — समापति;
 (ब) कुल सचिव — सचिव;
 (स) ऐसे अन्य सदस्य — जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (अ) कुलपति — समापति;
 (ब) वित्त अधिकारी;
 (स) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिसका पद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;
 (द) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देख-भाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय-5

परिनियम और नियमावली

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत् है :-
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
- (ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (छ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उसकी पुनर्संरचना;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;
- (झ) मानद उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ट) निशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की, जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क;
- (ढ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, फीस माफी, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;
- (त) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;
- (थ) अन्य मामले जो विहित किये जायें।
28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।
29. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :-
- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

परिनियम

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

परिनियम संशोधन करने की शक्ति

नियम

- (घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसूचकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं में प्रवेश करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाये।
- नियमावली कैसे बनायी जायेगी
31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गई नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जोकि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के साथ अपना अनुमोदन दे सकेगी।
- (2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय करने में असमर्थ रहती है वहाँ यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।
- नियमावली को संशोधित करने की शक्ति
32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद् नये तथा अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

- कर्मचारियों की सेवा शर्तें
33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (2) छात्रों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थता अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे।
- (4) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (5) अधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की प्रक्रिया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।
- अपील का अधिकार
34. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, कैरियर एकेडमी सेन्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्रचार्य, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, कैरियर एकेडमी सेन्टर के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें, ऐसे भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।
36. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
37. जब भी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई हो, वहाँ ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई, समस्त सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।
38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता है।
39. कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई, किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।
40. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:—
 (क) प्रथम कुलपति एवं प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर), यदि कोई है, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर कार्य करेगा;
 (ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी जो तीन वर्ष की अवधि तक उस पद कार्य करेंगे;
 (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।
41. (1) विश्वविद्यालय द्वारा क्रम से कम एक करोड़ रुपये स्थायी विन्यास निधि स्थापित की जायेगी जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता;
 (2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विहित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;
 (3) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य निधि या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित की जा सकती है। विश्वविद्यालय के समापन के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्य प्रयोजनों के लिए कोई धनराशि विन्यास निधि की राशि से अन्तरित नहीं की जा सकती;
 (4) स्थायी विन्यास निधि की राशि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अधिक विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को स्थायी विन्यास निधि में पुनर्निवेशित कर दिया जायेगा।
42. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-
 (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले सभी शुल्क;
 (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

भविष्य निधियाँ एवं पेंशन

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद

समितियों का गठन

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

संक्रमणकालीन उपबन्ध

स्थायी विन्यास निधि

सामान्य निधि

- (ग) हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।
- विकास निधि 43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेगी, अर्थात् :-
- (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
- (ग) हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा किये गये सभी अंशदान;
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और
- (च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
- (2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
- निधि का अनुरक्षण 44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को, व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।
- वार्षिक प्रतिवेदन 45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
- लेखा व लेखा परीक्षा 46. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रति वर्ष लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई०सी०ए०आई०) के सदस्य हों।
- (3) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा-परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।
- विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति 47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत् रखी गई किसी पूंजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the University of Petroleum & Energy Studies Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 15 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 08, 2003.

No. 272/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, July 10, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

UNIVERSITY OF PETROLEUM AND ENERGY STUDIES

ACT, 2003

(Act No. 15 of 2003)

AN

ACT

to establish and incorporate an University in the name of University of Petroleum and Energy Studies with facilities for education, training and research in the areas of Petroleum and Energy Studies and related areas sponsored by Hydrocarbons Education & Research Society, registered under Societies Registration Act, 1860 at New Delhi.

It is hereby enacted in the fifty fourth year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I

Preliminary

- | | | | |
|------------------------------|----|-----|--|
| Short title and Commencement | 1. | (1) | This Act may be called the University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003. |
| | | (2) | It shall be deemed to have come into force on the date, the Notification is issued by the State Government. |
| Definitions | 2. | (1) | In this Act, unless the context otherwise requires: --
(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University; |

- (b) "Board of Governors" means the Board of Governors of the University;
- (c) "Career Academy Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of receiving telecast, e-mail, internet, interactive talk back, conducting training, organize lectures, seminars and workshops, advising, counseling or rendering any other assistance required by the students;
- (d) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
- (e) "Constituent College" means a college or institution maintained by the University;
- (f) "Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under section (3) of the All India Council for Technical Education Act, 1987;
- (g) "Distance Education System" means the system of imparting education through any means of information technology and communication such as broadcasting, telecasting, correspondence course, seminar, contact program or a combination of any two or more such means;
- (h) "Employee" means employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;
- (i) "Faculty" means faculty of the University;
- (j) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (k) "Government" means the Government of Uttaranchal;
- (l) "Hall" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University or a constituent college;
- (m) "Hydrocarbons Education And Research Society" means Society registered under Societies Registration Act, 1860 having registered office at C-2/2525, Vasant Kunj, New Delhi 110 070;
- (n) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
- (o) "Principal" in relation to a constituent college, means the head of the constituent college, and includes, where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;
- (p) "Registrar" means the Registrar of the University;
- (q) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of co-ordination and supervising the work of Study Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- (r) "State" means State of Uttaranchal;
- (s) "Statutes" and "Rules" mean, respectively, the Statutes and Rules of the University;

- (t) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students;
- (u) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor / Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a Constituent College and includes the Principal of Constituent College;
- (v) "UGC" means University Grants Commission established under University Grants Commission Act, 1956;
- (w) "University" means the University of Petroleum And Energy Studies established under this Act;
- (x) "Visitor" means the Visitor of the University.

CHAPTER - II

The University and its Objects

Proposal for the
establishment of
the University

- (1) Hydrocarbons Education and Research Society, New Delhi shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act.
- (2) An application containing the proposal to establish a University shall be made to the State Government by the Hydrocarbons Education And Research Society. The proposal shall contain the following particulars, namely :--
 - (a) the objects of the University alongwith the details of the Hydrocarbons Education And Research Society;
 - (b) the extent and status of the University and the availability of land;
 - (c) the nature and type of programmes of study and research to be undertaken in the University during a period of the next five years;
 - (d) the nature of facilities, courses of study and research proposed to be started;
 - (e) the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
 - (f) the phased outlays of capital expenditure for a period of the next five years;
 - (g) the item-wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student;
 - (h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each source;
 - (i) the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from

consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;

- (j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee freeship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non resident Indians and students of other nationalities;
- (k) the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of the Hydrocarbons Education And Research Society as well as the financial resources;
- (l) the system for selection of students to the courses of study at the University; and
- (m) status of fulfilment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

4. (1) Where the State Government, after such inquiry as it may deem necessary, is satisfied that Hydrocarbons Education And Research Society has fulfilled the conditions specified in sub-section (2) of Section 3, it may direct the Hydrocarbons Education And Research Society to establish an Endowment Fund. Establishment of University
- (2) After the establishment of the Endowment Fund, the State Government may, by notification in the Official Gazette, accord sanction for establishment of the University.
- (3) The Headquarters of University shall be at Dehradun, Uttaranchal and it may also have campuses or regional centres, Study Centres and Career Academic Centres at such other places, as may be specified by it from time to time
- (4) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.
- (5) On the establishment of the University under sub-section (2), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the University for the purpose of the University except the properties of Hydrocarbons Education And Research Society, shall stand transferred to, and vest in, the University.
- (6) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.
5. The University shall be self-financing and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government. University not to be entitled to financial assistance

- No Power to affiliate any institution 6. The University may have Constituent Colleges, Regional Centres, Study Centres and Career Academy Centres but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.
- Objects of the University 7. (1) The objectives for which the University is established are as follows:--
- (a) to have provision for extensive study, teaching, and research in all elements of Petroleum and Energy Sector and according to its motto of progress with petroleum, to benefit the whole energy sector of the entire country and the world.
 - (b) to establish constituent colleges such as College of Engineering Studies (CES), College of Legal Studies (CLS) and College for Management and Economic Studies (CMES) related to Hydrocarbon Sectors and to offer diploma, under graduate and post-graduate courses which would be as non-nucleated by UGC but the University shall have the right to start other diploma and certificate courses in furtherance of its objectives.
 - (c) to establish a constituent Centre for Continuing Education to provide instructions through distance learning methodology for the courses mentioned in (b) above.
- (2) To establish an R & D center to promote research and innovations in the petroleum, oil and gas sector and thereby,
- (a) to provide for instructions and training in such related branches of learning as it may deem fit.
 - (b) to provide for research for the advancement of and dissemination of knowledge in the sector.
 - (c) to undertake energy studies and other such activities leading to conservation of energy.
- Powers of the University 8. (1) The University shall have the following powers, viz:--
- (a) to provide for instruction in all disciplines pertaining to Petroleum, Hydrocarbons, Gas, Oil, Energy, Mining, Information Technology and allied fields and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
 - (b) to carry out all such activities as may be necessary or feasible in furtherance of the objects of the University;
 - (c) to hold examinations for, and to institute grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who--
 - (i) have pursued a course of study in the University or in a constituent College or through its distance education system at regional Centre/ Study Centre/ Career Academy Centre; or
 - (ii) have carried on research in the University or in a constituent body or under its distance education system.
 - (d) to confer honorary degree or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes/provisions;

- (e) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes;
- (f) to demand and receive such fees, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
- (g) to make provisions for the advancement of education in Hydrocarbons, Petroleum and other areas mentioned in Section 7;
- (h) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;
- (i) to make appointments of faculty, officers and employees of the University or a Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre;
- (j) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University or a Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre with the prior permission of Hydrocarbons Education And Research Society, New Delhi;
- (k) to institute and maintain halls and to recognize places of residence for students of the University or in a Constituent College;
- (l) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
- (m) to create administrative, managerial, employees and other necessary posts;
- (n) to co-operate or collaborate with other Universities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to provide distance education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organized;
- (p) to organize and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programs for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (q) to determine standards of admission to the University or a Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre through specialized committees with the approval of Academic Council;
- (r) to make special provision for students belonging to the state of Uttaranchal for admission in any course of the University or in a Constituent College, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre;
- (s) to do all such other acts or things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
- (t) to prescribe such courses for Bachelor Degree, Post Graduate and Research and to start diplomas, certificates etc. in petroleum and energy related subjects;

- (u) to clearly set apart Academic Activities of the University from the activities the society;
 - (v) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, CD, VCD and other softwares;
 - (w) to recognize examinations of, or periods of study (whether in full or in part) at, other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
 - (x) to raise, collect, subscribe and borrow with the approval of the Governing Body whether on the security of the University, money for the purpose of the University;
 - (y) to enter into, carry out, vary or cancel contracts.
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the open university and distance education systems and for the determination of standards of teaching, evaluation and research in such systems, and for the purpose of performing this function, the University shall have such powers, including the power to allocate and disburse grants to Colleges, Regional Centres and Study Centres whether admitted to its privileges or not, or to any other University or institution of higher learning, as may be specified by the Statutes.

University open to all classes, castes, creed and gender

The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or gender:--

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission to students of the State of Uttaranchal. Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University or Constituent colleges or Regional Centres or Study Centres or Career Academy Centres to admit in any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes.

National Accreditation

10. The University will seek accreditation from the national University accreditation body.

CHAPTER - III

Officers of the University

Officers of the University 11. The following shall be the officers of the University:--

- (a) the Visitor;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-Chancellor;
- (d) the Pro Vice-Chancellor;

- (e) the Deans of Faculties;
- (f) the Registrar;
- (g) the Finance Officer, and
- (h) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.
12. (1) The Governor of Uttaranchal will be the Visitor of the University. The Visitor
- (2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.
- (3) The Visitor shall have the following powers namely:--
- (a) to call for any paper or information relating to the affairs of the University.
- (b) on the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Act, Statutes or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned.
- (4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.
13. (1) Chairman of Board of Studies of Indian School of Petroleum an institute under the aegis of Hydrocarbons Education & Research Society will be the first Chancellor of the University of Petroleum And Energy Studies, whose tenure shall be of three years. Thereafter the Hydrocarbons Education And Research Society, with the prior concurrence of the Visitor, would appoint Chancellor from amongst its members. The Chancellor
- (2) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.
14. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the Statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2). The Vice-Chancellor
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, viz. :-
- (a) One person nominated by the Visitor;
- (b) One person nominated by the Chancellor;
- (c) The Principal Secretary/ Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
- (d) Three nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convenor of the committee by the Board of Governors.

- (3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
- (4) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
- (6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the Rules.
- (7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
- The Pro-Vice-Chancellor 15. A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
- Deans of Faculties 16. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
- The Registrar 17. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.
- (2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.
- The Finance Officer 18. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

19. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed. Other Officers

CHAPTER-IV

Authorities of the University

20. The following shall be the authorities of the University, namely:-- Authorities of
the University
- (a) The Board of Governors;
 - (b) The Board of Management;
 - (c) The Academic Council;
 - (d) The Finance Committee; and
 - (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
21. (1) The Board of Governors shall consist of: The Board of
Governors and
its powers
- (a) The Chancellor - Chairman;
 - (b) The Vice Chancellor - Member-Secretary;
 - (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or a Secretary to the State Government nominated by the State Government;
 - (d) Five persons nominated by the Hydrocarbons Education And Research Society, New Delhi;
 - (e) A Nominee of Indian Institute of Technology/Indian Institute of Management/Indian Institute of Science/Indian School of Mines/ Indian institute of Petroleum, nominated by the Chancellor;
 - (f) Three academicians nominated by the Visitor;
 - (g) Three Nominees of Oil and Gas Companies, nominated by the Chancellor.
- (2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely:--
- (a) to lay down policies to be pursued by the University;
 - (b) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
 - (c) to approve the budget and annual report of the University;
 - (d) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
 - (e) to take decision about voluntary winding up of the University;
 - (f) to approve proposals for submission to the State Government; and

(g) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University.

(3) The Board of Governors shall, meet at least three times in a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.

The Board of Management

(1) The Board of Management shall consist of:--

- (a) The Vice-Chancellor;
- (b) A Nominee of Indian Institute of Technology/Indian Institute of Management/Indian Institute of Science/Indian School of Mines/Indian Institute of Petroleum nominated by the Chancellor;
- (c) Five persons, nominated by the Hydrocarbons Education And Research Society, New Delhi;
- (d) Two Professors of the University, by rotation on the basis of seniority for a period of one year;
- (e) Two Deans of the faculties as nominated by the Chancellor;
- (f) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.

(2) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed.

The Academic Council

(1) The Academic Council shall consist of:--

- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
- (b) the Registrar - Secretary;
- (c) such other members as may be prescribed in the Statutes.

(2) The Academic Council shall be the Principal Academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

The Finance Committee

(1) The Finance Committee shall consist of:--

- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
- (b) the Finance Officer
- (c) principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;
- (d) such other members as may be prescribed in the Statutes.

(2) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

25. The constitution, powers and functions of the other authorities of the Other University shall be such as may be prescribed. Authorities
26. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid Proceedings merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the consti- not invalidated tution of the authority. on account of vacancy

CHAPTER-V Statutes and Rules

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any Statutes matter relating to the University and staff, as given below:--
- (a) the procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
 - (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
 - (c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
 - (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
 - (e) the procedure for resolving disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
 - (f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
 - (g) the manner of co-operation with other Universities or Institutions of higher learning;
 - (h) the procedure for conferment of honorary degrees;
 - (i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
 - (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for Uttaranchal students;
 - (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
 - (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
 - (m) procedure for creation and abolition of posts;
 - (n) other matters which may be prescribed.
28. (1) The first Statutes framed by the Board of Governors shall be sub- Statutes how mitted to the State Government for its approval, which may, within made three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under Sub-section (1) it shall be deemed to have been approved by the State Government.

- Power to amend the Statutes 29. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the existing Statutes.
- Rules 30. Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters, namely:--
- (a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
 - (b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;
 - (c) the award of degrees and other academic distinctions;
 - (d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
 - (e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
 - (f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
 - (g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;
 - (h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;
 - (i) all other matters as may be provided in the Statutes and Rules under the Act.
- Rules how made 31. (1) The rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.
- (2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.
- Power to amend Rules 32. The Board of Governors may, with the approval of the State Government make new or additional rules or amend or repeal the rules.

CHAPTER-VI

Miscellaneous

- Conditions of service of employees 33. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.
- (2) Disciplinary action against the students/employees shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.
- (3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a

tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

- (4) The decision of the tribunal in such matter shall be final.
- (5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.
34. Every employee or student of the University or of a constituent college, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre shall, notwithstanding anything contained in the proposed Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such Constituent college, Regional Centre, Study Centre and Career Academy Centre college, as the case may be and thereupon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against. Right to appeal
35. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. Provident fund and pension
36. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final. Disputes as to constitution of University authorities and bodies
37. Whenever any authority of the University is given power by this Act or the statutes to appoint committees, such committees, shall, save as otherwise provided, consist of any or all the members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case thinks fit. Constitution of Committees
38. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member. Filling of casual vacancies
39. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules. Protection of action taken in good faith
40. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statutes:-- Transitional provisions
- (a) the first Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three year;

1
-
r-
id
a

- (b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years;
- (c) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years;
- (d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.
- Permanent Endowment Fund 41. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees one crore which may be increased suo motu but shall not be decreased.
- (2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
- (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund. Excepting the dissolution of the University, in no other circumstances can any monies be transferred from corpus of the endowment fund for other purposes.
- (4) Not exceeding 75% of the incomes received from the corpus permanent endowment fund shall be used for the purposes of development works of the University. The remaining 25 % shall be reinvested into the permanent endowment fund.
- General fund 42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely :--
- (a) all fees which may be charged by the University;
- (b) all sums received from any other source;
- (c) all contributions made by the Hydrocarbon Education and Research Society, New Delhi;
- (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.
- (2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.
- Development fund 43. (1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely :--
- (a) development fees which may be charged from students;
- (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
- (c) all contributions made by the Hydrocarbons Education & Research Society;
- (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
- (e) all incomes received from the permanent endowment fund.

- (2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.
44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall, subject to Maintenance of general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.
45. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval. Annual Report
- (2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.
- (3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.
46. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University. Accounts and audit
- (2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, every year.
- (3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of Governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.
- (4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government alongwith its observations thereon before the 31st December each year.
- (5) The direction of the State Government on the subject arising out of the accounts and audit report of the University shall be binding on the University.
47. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the university or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence. Mode of proof of University record

- Dissolution of 48. (1) If Hydrocarbons Education & Research Society, New Delhi University proposes dissolution of the University of Petroleum and Energy Studies in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.
- (2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of University. If the directions are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.
- (3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf. Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the Hydrocarbons Education & Research Society.
- (4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with the Council for Technical Education and UGC make such arrangements for administration of the University from date of dissolution of the University by Hydrocarbons Education And Research Society, New Delhi and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the statutes.
- Expenditure of 49. (1) The expenditure for administration of the University during the the University taking over period of its management under section 48 shall be during dissolution met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.
- (2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.
- Removal of 50. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, difficulties the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:
- Provided that no notification order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.
- (2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislature.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.